INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS

VOLUME 2, ISSUE 9, September 2014

ISSN-2320-2882

ORIGINAL ARTICLE

वर्तमान पुस्तकालय में पुस्तकालय अधिनियम की उपादेयता (एक अध्ययन)

श्रीमति नीता सिंह
सहा.ग्रंथपाल
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय,
लमती, विजयनगर, जबलपुर (म.प्र)

सारांश– *प्रस्तुत शोध पत्र में देश के अन्दर स्थित पुस्तकालयों के लिये पुस्तकालय अधिनियम, उसके उपादेयता तथा कार्य का उल्लेख किया गया है, साथ में देश के विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप देश के कुछ प्रान्तों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।पुस्तकालयों को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें वित्त, नियमों, परिनियमों एवं अन्य तकनीकों की आवश्यकता होती है, इसी आवश्यकता को देखते हुए डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने भारत के अंदर कई प्रान्तों में पुस्तकालय अधिनियम बनाकर राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित पुस्तकालयों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का प्रयास किया।*

प्रस्तावना–

शिक्षा देश की शक्ति और स्त्रोत होता है। ग्रंथालय ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ज्ञान का दीपक प्रज्जवलित हो सकता है। किसी देश की उन्नति का मापदण्ड उस देश में विद्यमान ग्रंथालयों की संख्या और उनका उपयोग होता हैं। शिक्षा का प्रसाद शिक्षण संस्थाओं में अनुष्ठित ग्रंथालयों के माध्यम से हो सकता है ।सार्वजानिक ग्रंथालय देश की शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नैतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देते है।

देश में सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिये और देश में ग्रंथालयों का जाल बिछाने के लिये ग्रंथालय अधिनियमों की अत्यंत आवश्यकता है।

इस प्रकार पुस्तकालय अधिनियम से आशय राष्ट्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता द्वारा बनाये गये ऐसे कानूनी मान्यता प्राप्त नियमविनियमों में से है, जिसका उद्धेश्य अधीनस्थ पुस्तकालयों में संग्रहीत सामग्री का उपयोग तथा उसकी सुरक्षा करना, पुस्तकालयों का विकास करना तथा सेवाओं का निरन्तरता बनाये रखना है।

भारत में ग्रंथालय अधिनियम के बारे में सन् 1928 में डॉ. रंगनाथन ने सर्वप्रथम अनुभव किया तथा जिसके क्रियान्वयन हेतु विधेयक उन्होने मद्रास ग्रंथालय संघ द्वारा तैयार कराकर मद्रास विधान सभा में 1933 में एवम् 1937 में क्रमशः दो बार रखवाया लेकिन वह पारित न हो

सका। डॉ. रंगनाथन के प्रयासों से मद्रास में सर्वप्रथम 1948 में ग्रंथालय अधिनियम पारित कर दिया गया। अब तक कुल 10 राज्यों में अधिनियम पारित हो चुका है।

1.1 पुस्तकालय अधिनियम के कार्यः–

समाज के सभी ग्रंथालयों अधिनियमों के उद्धेश्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे सार्वजनिक ग्रंथालयों निःशुल्क सेवा प्रदान की जा सके।

- विश्वसनीय सूचना तथा स्वथ्य मनोरंजन सामग्री का सग्रंह करना।
- ग्रंथालय सामाग्री की ऐसी व्यवस्था करना जिसका अधिकतम उपयोग हो सके।
- उपभोक्ता एवं उपभोक्ताओं को सकारात्मक विद्यार्थी बनने के लिये प्रेरित करना।
- निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिये उपयुक्त वित्त की व्यवस्था करना।
- पुस्तकालयों के सफल संचालन हेतु शिक्षा मंत्री के सहयोग हेतु एक उपसमिति का भी गठन करना।

1.2 पुस्तकालय में ग्रंथालय अधिनियम का प्रभावः–

जिन राज्यों में अधिनियम लागु हो गया है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, वित्त तथा सहायता साक्षरता अभियान के सभी अधिनियम के रूप में संचालित होता है, और वहां पुस्तकालय सेवा की उच्च कोटि की सुविधा प्रदान की जा रही है, वर्तमान में पुस्तकालय सेवाओं में जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए है उनका मुख्य कारण है। पुस्तकालय अधिनियम का लागू होना।

1.3 पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकताः–

किसी भी देश में ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता निम्न कारणों से होती हैः–

ग्रंथालयों की स्थापना हेतु–

ग्रंथालय अधिनियम के प्राक्थन के अनुसार सरकार जनता से ग्रंथालय कर के रू॰ में टैक्स प्राप्त करती है इसलिए सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि सरकार इसके माध्यम से अपने भौगोलिक क्षेत्र के प्रत्येक भाग में रहने वाले निवासियों के लिये सेवा प्रदान करने हेतु ग्रंथालयों की स्थापना करें क्यों कि आज का समाज और उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विश्व में हो रही प्रत्येक घटना से सम्बन्धित प्रत्येक नवीनतम् सूचना को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है अतः सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि सरकार इसके माध्यम से अपने भौगोलिक क्षेत्र के प्रत्येक भाग में ग्रंथालय सेवा प्रदान करने हेतु ग्रंथालयों की स्थापना करें।

गंथालयों के विकास हेतु–

जो ग्रंथालय पहले से ही स्थापित है तथा जहां अभी ग्रंथालय नहीं है वहॉ ग्रंथालयों की स्थापना एवं विकास हेतु ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता होती है जिससे समाज के अधिकतम व्यक्ति ग्रंथालय सेवा प्राप्त कर सके तथा जो ग्रंथालय पहले से ही स्थापित है उनके संचालन एवं विकास हेतु निरन्तर प्रयास की आवश्यकता होती है।

ग्रंथालयों के रखरखाव हेतु–

पहले से ही अथवा नवीन जो भी ग्रंथालय स्थापित है उनका निरन्तर उत्तम ढंग से रख रखाव एवं संरक्षण किया जाना आवश्यक होता है सरकार का यह उत्तर दायित्व होता है कि वह भविष्य में उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखे कही ऐसा न हो कि कुछ समय तक तो उनके रखरखाव की ओर ध्यान रखा जाय और कुछ समय बाद इस ओर कोई ध्यान न दिया जाय। ऐसा समय भी सरकार पर आ सकता है कि उसके पास धन की कमी हो सकती है जिससे ग्रंथालयों का रखरखाव प्रभावित हो सकता है। अतः इस प्रकार की समस्या के समाधान हेतु ग्रंथालय अधिनियम पारित एवम् लागू करने की आवश्यकता होती है।

ग्रंथालय नैटवर्क के प्रोत्साहन हेतु–

ग्रंथालय अधिनियम के माध्यम से किसी भी राज्य अथवा देश में ग्रंथालयों की एक नैटवर्क प्रणाली स्थापित की जा सकती है जैसे किसी भी राज्य अथवा देश में नैटवर्क के माध्यम से उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह शहरी हो, ग्रामीण हो ग्रंथालय सेवा सुलभ होती है। नैटवर्क की स्थापना हेतु किसी भी राज्य अथवा राष्ट्र में एक केन्द्रीय ग्रंथालय स्थापित किया जा सकता है। फिर क्षेत्रीय ग्रंथालय, जिला ग्रंथालय नगरग्रंथालय, ग्रामीण ग्रंथालय और अन्त में सफल ग्रंथालय स्थापित किये जाते है।

उत्तरोत्तर विकास हेतु–

चूंकि ग्रंथालय अधिनियम के द्वारा किसी में देश अथवा ग्रंथालयों का एक नैटवर्क स्थापित किया जाता है इसलिये इसके द्वारा ग्रंथालय का उत्तरोत्तर विकास सम्भव हो पाता है तथा जिस किसी क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र में नैटवर्क प्रणाली के आधार पर ग्रंथालय की रक्षा की जा सकती है।

1.4 आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम –

सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना रखरखाव तथा विकास के लिये महत्वपूर्ण है इसके द्वारा पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है, जिसमें कस्बों तथा गावों से लेकर शहरों, जनपदों और राज्य के केन्द्रीय पुस्तकालय तक के विभिन्न स्तर के

पुस्तकालय एक दूसरे से जुड़ते है, भारत में अब तक पॉच सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाये गये है जो निम्नलिखित है।

- मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट सन् 1951 में डॉ रंगनाथन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के सदस्य के रूप में है (The Library Development plan-thiry year programme for India with Draft library bills for union and constituent states) का प्रारूप तैयार किये। यूनियन लाइब्रेरी बिल (Union library Bill) इसी प्रलेख में दिया गया हैं।

- डॉ. रंगनाथन ने सन् 1930 में (All Asia Educaitoal Conference) बनारस में 'मॉडल लायब्रेरी एक्ट' (Model Library Act) के उपर एक लेख प्रस्तुत किए और बाद में उन्होने इसे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज एक्ट (Mobil Public Libraries Act) के रूप में संशोधित किया।

- पुस्तकालय सलाहकार समिति की सस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने डॉ. एम.डी.सेन की अध्यक्षता में सन! 1958 में एक समिति नियुक्त की। सन! 1963 में इस समिति ने एक मॉडल पाब्लिक लाइब्रेरिज बिल (Mobil Public Libraries Act) बनाया।

- भारत सरकार के योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिये पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह (Working Group) का गठन किया। कार्यकारी समूह ने अपना प्रतिवदेन सन् 1965 में प्रस्तुत किया जिसके साथ एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल (Mobil Public Libraries Bill) संलग्न किया गया था।

- भारतीय पुस्तकालय संघ के अनुरोध पर डॉ वेक्टापैया ने सन् 1989 में एक आद र्ा सार्वजनिक पुसतकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। नई दिल्ली में हुए पुस्तकालय अधिनियम के उपर राश्ट्रीय संगोश्ठी (National seminar on library legislation) पर विचार – विम र्ा करके इस मॉडल अधिनियम को आद र्ा पुस्तकालय एवं सुचना संस्था अधिनियम (midel libraries and information societies act) के रूप में सं ोधित किया गया है।

1.5 <u>आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की संरचना</u> –

प्रस्तावना – इस भाग में अधिनियम की एक सटीक आठया तथा एक संक्षिप्त आठया के विशय में वर्णन होना चाहिए।

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण – अधिनियम कायह भाग संगठात्मक प्रणाली एवं सेवाओं का वर्णन करता हैं। राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आव यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आव यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा सकरात्मक प्र ाासन करना भी राज्य पुस्तकालय अधिनियम के कर्तवय हैं। राज्यपुस्तकालय प्राधिकरण राज्य में गठित विभिन्न स्तरों के पुस्तकालय प्राधिकरणों का पर्यवेक्षण करने के साथ – साथ उनका प्रोत्साहन भी करता है।

- पुस्तकालयों का नेटवर्क– इस भाग में राज्य पुस्तकालय, जनपदीय पुस्तकालय, शहरी पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालय संविधान, संरचना, सेवाएँ तथा वित्तीय प्रावधान का उल्लेख रहता है?

- वित्तीय प्रावधान– पुस्तकालय के सर्वागीण विकास हेतु स्थायी एवं सुदृढ़ वित्तीय स्त्रोतों का उल्लेख होना चाहिए ताकि सारे नागरिकों को आधुनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करायी जा सके।
- कर्मचारी– अधिनियम में राज्य पुस्तकालय सेवा के एक संवर्ग की स्थापना का प्रावधान होना चाहिए तथा उनकी नियुक्ति के नियम एवं सेवा शर्तें इस प्रकार होनी चाहिए ताकि उच्च क्वालिटी की पुस्तकालय सेवा को सुनिश्चित किया जा सके।
- जवाबदेही– इस भाग में इस बात का प्रावधान रहे कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के कार्यकलापों तथा आय–व्यय का सरकारी आडिट के नियमानुसार निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण किया जा सके।
- पुस्तक पंजीकरण– इस भाग में इस बात का प्रावधान रहे कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के कार्य कलापों तथा आय–व्यय का सरकारी आडिट के नियमानुसार निरीक्षण अथवा पर्यवेक्षण किया जा सके।

1.6 आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों से अपेक्षाएं–

- इसमें पुस्तकालय सेवा प्रणाली के मूल विचार एवं झटकों को स्पष्ट करना चाहिये।
- इसे पुस्तकालय प्रणाली के संरचनात्मक विन्यास को परिभाषित करना चाहिए।

- इसमें पुस्तकालय समिति प्रबंध–परिषद आदि अभिशासनात्मक निकायों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
- इसमें कर्मचारियों की चयन–प्रक्रिया उनका संवर्ग एवं गुणवत्ता को स्पष्ट करना चाहिये।
- इसमें पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिये एक आधुनिक परिवीक्षण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- इसे एक ऐसी सम्पूर्ण पुस्तकालय प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार के संरक्षण तथा उनमें निहित सूचनाओं के संप्रेषण को सुनिश्चित करें।

1.7 राज्यस्तरीय पुस्तकालय अधिनियम–

1.7.1 मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1948
1.7.2 आन्ध्रप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1964
1.7.3 कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1965
1.7.4 महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम– 1967
1.7.5 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1971
1.7.6 मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1988
1.7.7 केरल सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम– 1989
1.7.8 हरियाणा पुस्तकालय अधिनियम– 1989
1.7.9 मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1993
1.7.10 गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 1994
1.7.11 गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 2001
1.7.12 उत्तरप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम– 2006

निष्कर्ष– *विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोकर विविध केन्द्रीय स्थलों का नेटवर्क स्थापित करना सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के अभिकल्पना और विकास का एक प्रभावी साधन है। इस प्रकार की नेटवर्क की संरचना पदानुक्रमिक श्रेणियों के रूप में होती हैं। जिसमें प्रत्येक राज्य का केन्द्रीय पुस्तकालय प्रमंडल पुस्तकालयों जनपद, पुस्तकालयों, तालुक/प्रखण्ड पुस्तकालयों तथा ग्रामीणों तथा ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए केन्द्र स्थल के रूप में कार्य करता है। अभी तक भारत की सिर्फ 12 राज्यों में ही सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो पाया है जो कि बेहद चिन्ता जनक है।*

ग्रंथसूची–

1. शर्मा प्रहलादः– पुस्तकालय और समाज (जयपुर, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन), 2009

2. व्यास (एस.डी.):– ग्रंथालय एवं समाज (जयपुर, यूनिवर्सिटी पंचशील प्रकाशन), 1993
3. शर्मा पाण्डेय (एस.के.):– ग्रंथालय एवं समाज, संस्करण (नई दिल्ली, ई.एस.एस. पब्लिकेशन), 1992
4. खन्ना (जे.के.):– ग्रंथालय एवं समाज (कुरूक्षेत्र, रिसर्च पब्लिकेशन), 1987
5. ओमप्रकाश :– ग्रंथालय एवं समाज संस्करण–1 (आगरा, वार्ड के पब्लिशर्स) 1999
6. Internet:-